प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग   देहरादून दिनांकः 27 जनवरी, 2012

विषयः— आई0सी0डी0एस0 के अन्तर्गत संचालित नन्दा देवी कन्या योजना के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 897/XVII(4)/2010/02/2011,दिनांक 18-4-2011, 1544/XVII(4)/2010/02/2011,दिनांक 4-8-2011 एवं 2528/XVII(4) /2011 /02/09 टी0सी0, दिनांक 13—12—2011 के अनुक्रम में एवं आपके पत्र संख्या 2364—65/न0दे0क0यो0—1052(2) /2011—12 दिनांक 12—1—2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल "नन्दा देवी कन्या योजना" के कियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के अन्तर्गत कुल धनराशि रू0 68,75,000/— (रू0 अड़सठ लाख पिच्हत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति योजनान्तर्गत पूर्व से निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है।

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय किश्तो के पूर्ण/ संतोषजनक व्यय होने के उपरान्त ही नियमानुसार योजनान्तर्गत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।

3.. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के आय—व्ययक के अनुदान संख्याः15 (आयोजनागत पक्ष) के मुख्य लेखा शीर्षकः 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—02 —समाज कल्याण—102—बाल कल्याण—06— बाल कल्याण की विविध योजनायें—0604—नन्दा देवी कन्या योजना के अन्तर्गत मानक मद संख्या—42—अन्य व्यय से वहन किया जायेगा।

4.. यह स्वीकृति वित्त विभाग,उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या 389(P) /XXVII(3)/2011-12 दिनॉक 19—1—2012 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीया

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
सचिव

संख्याः238 (1)/XVII(4)/2011 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड़, माजरा देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिला कार्यकम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।
5. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप शाह)
अनु सचिव